



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-26082026-275806
CG-AP-E-26082026-275806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4536]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4536]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण तट रेलवे)
अधिसूचना

विशाखापत्तनम, 19 अगस्त, 2026

का.आ. 4721(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् “गूडूर-रेणिगुंटा स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन (83.17 किमी.)” के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संयुक्त कलक्टर (भूमि अधिग्रहण), तिरुपति, तिरुपति जिला को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी संयुक्त कलक्टर (भूमि अधिग्रहण), तिरुपति, तिरुपति जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा

और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में विशेष रेलवे परियोजना, “गूडूर-रेणिगुंटा स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन (83.17 किमी.)” के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुविधा के लिए विशेष रेलवे परियोजना, “गूडूर-रेणिगुंटा स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन (83.17 किमी.)” के बीच बाईपास लाइन।

गांव: पानगल			मंडल : श्रीकालहस्ती				जिला: तिरुपति		
क्र. सं.	सर्वेक्षण सं.	अधिग्रहित क्षेत्र एकड़ सेंट में	हितप्रद व्यक्ति का नाम और पता/सरकारी भूमि का विवरण	सीमाएं				पेड़ों, संरचनाओं आदि का विवरण यदि कोई हो	अभ्युक्तियाँ (सरकारी/पट्टा भूमि/ डीकेटी)
				उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		
1.	157/1बी (वेबलैंड के अनुसार 157/1ए, 1बी, 1सी, 1डी, 1ई, 1एफ)	0.21	1. बी.रवि सुपुत्र वेंकटसुब्बय्या 2. बी.सुब्रमण्यम सुपुत्र वेंकटसुब्बय्या 3. बी.रामय्या सुपुत्र वेंकटसुब्बय्या 4. बी.कृष्णय्या सुपुत्र वेंकटसुब्बय्या 5. बी.मुनिरत्नम सुपुत्र वेंकटसुब्बय्या 6. बी.श्रीनिवासुलु सुपुत्र वेंकटसुब्बय्या	156	156	157/5बी	157/1ए	-	सरकारी आर्द्र
2.	157/5बी (वेबलैंड के अनुसार 157/5)	0.04	बी.कौसल्यम्मा पत्नी रामकृष्णय्या	156	156	157/6बी	157/5ए	-	सरकारी आर्द्र
3.	157/6बी (वेबलैंड के अनुसार 157/6ए)	0.05	बी.श्रीनिवासुलु, सुपुत्र वेंकटसुब्बय्या	156	156	157/14बी	157/6ए	-	सरकारी आर्द्र
4.	157/14बी (वेबलैंड के अनुसार 157/14ए, 14बी)	0.03	1. बी.कृष्णय्या सुपुत्र वेंकटसुब्बय्या 2. बी.श्रीनिवासुलु सुपुत्र वेंकटसुब्बय्या	162	162	161	157/14ए	-	सरकारी आर्द्र

5.	161/10 (वेबलैंड के अनुसार 161/1)	0.01	नहर	157	162	161/4बी	161/2ए	-	सरकारी पोरंबोक
6.	161/2बी (वेबलैंड के अनुसार 161/2)	0.02	1.बी.कृष्णय्या सुपुत्र वेंकटसुब्बय्या	161/10	162	161/4बी	161/2ए	-	सरकारी आर्द्र
7.	161/4बी (वेबलैंड के अनुसार 161/4ए, 4बी)	0.01	1.पी.बालासुब्रमण्यम सुपुत्र दोरास्वामी 2. पोल्ली मुनिप्रसाद सुपुत्र हरि बाबु	161/2बी	162	161/5	161/4ए	-	सरकारी आर्द्र
	कुल	एकड़ 0.37 सेंट							

[फा. सं. W.Con.182/SRP-18/GDR-RU/24-25/268/20A/190826]

के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Coast Railway)****NOTIFICATION**

Vishakhapatnam, the 19th August, 2026

S.O. 4721(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as in as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution of the Special Railway Project namely, “Third line between Gudur - Renigunta stations (83.17 Km)”, in Tirupati district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objections to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of section 20D of the said act:

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely Joint Collector (land acquisition), Tirupati, Tirupati district in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority namely Joint Collector (land acquisition), Tirupati, Tirupati district shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, Third line between Gudur - Renigunta stations (83.17 Km) in Tirupati district in the state of Andhra Pradesh.

Description of Land in Acquisition: Special Railway Project, Third line between Gudur - Renigunta stations (83.17 Km) for passenger and freight facility.

Village: Panagal			Mandal: Srikalahasti		District: Tirupati				
Sl. No.	Survey No.	Extent under Acquisition Ac Ce	Name & address of the person interested/Details of Govt. Land	Boundaries				Details of Trees, Structures etc., if any	Remarks (Govt./ Patta/ DKT)
				N	S	E	W		
1.	157/1B (As per Web land 157/1A,1 B,1C,1D, 1E,1F)	0.21	1.B.Ravi S/o Venkatasubaiah 2.B.Subramanyam S/o Venkatasubaiah 3.B.Ramaiah S/o Venkatasubaiah 4.B.Krishnaiah S/o Venkatasubaiah 5.B.Munirathnam S/o Venkatasubaiah 6.B.Sreenivasulu S/o Venkatasubaiah	156	156	157/5B	157/1A	-	Govt. Wet
2.	157/5B(As per Webland 157/5)	0.04	B. Kousalyama W/o Ramakrishnaiah	156	156	157/6B	157/5A	-	Govt. Wet
3.	157/6B As per webland 157/6A)	0.05	B.Sreenivasulu S/o Venkatasubaiah	156	156	157/14B	157/6A	-	Govt. Wet
4.	157/14B As per webland 157/14A, 14B)	0.03	1. B.Krishnaiah S/o Venkatasubaiah 2. B.Sreenivasulu S/o Venkatasubaiah	162	162	161	157/14A	-	Govt. Wet
5.	161/10 As per webland 161/1)	0.01	Kaluva	157	162	161/4B	161/2A	-	Govt.P or
6.	161/2B As per Webland 161/2)	0.02	1.B. Krishnaiah S/o Venkatasubaiah	161/10	162	161/4B	161/2A	-	Govt. Wet
7.	161/4B As per webland 161/4A,4B)	0.01	P.Balasubramanyam S/o Dhoraswamy 2. Polli Muniprasad S/ o Hari babu	161/2b	162	161/5	161/4A	-	Govt. Wet
	Total	Ac.0.37.Ce							

[F. No. W.Con.182/SRP-18/GDR-RU/24-25/268/20A/190826]

K. SURYANARAYANA, Chief Engineer / Construction-II